क्रम-संख्या–18(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 19 फरवरी, 2024

माघ 30, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 181 / वि0स0 / संसदीय / 21(सं)-2024

लखनऊ, 6 फरवरी, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 6 फरवरी, 2024 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची–2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 37 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम–संख्या 37 के पश्चात् नवस्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम–संख्या बढ़ा दी जायेगीः–

क्रम–संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
38	एस0 के0 एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश	बृजवासी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार, एस0के0एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2023

4–(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

——————

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात् एस0के0एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

——————

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 98/XC-S-1–24-08 S-2024
Dated Lucknow, February 19, 2024

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Niji Vishvavidyalaya (Sanshodhan) Vidheyak, 2024" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 6, 2024.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from December 31, 2024.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 37, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 37 for the newly established Universities the following serial number shall be *inserted* :—

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
38.	S.K.S. International University, Mathura, Uttar Pradesh	Brijbasi Education and Welfare Society, Mathura, Uttar Pradesh

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of S.K.S. International University, Mathura, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 20 of 2023

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

1126 RPH (vidhaika folder (Sansdiya) (niji vishva. sansodhan) data-8e

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new private University namely, S.K.S. International University, Mathura, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 20 of 2023) was promulgated by the Governor on December 31, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGENDRA UPADHYAY
Mantri,
Uchha Shiksha.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 1126 राजपत्र—2024—(3140)—599+25+5=629 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

1126 RPH (vidhaika folder (Sansdiya) (niji vishva. sansodhan) data-8e